गेल (इंडिया) लिमिटेड

भौतिकता और प्रकटीकरण के निर्धारण संबंधी नीति

I. प्रस्तावना

गेल (इंडिया) लिमिटेड ("कंपनी") के निदेशक मंडल ने स्टॉक एक्सचेंज(जों) के लिए घटनाओं या सूचना के प्रकटीकरण की आवश्यकता का पता लगाने और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 30 के उप-विनियम (4) के खंड (ii) के तहत निर्दिष्ट घटनाओं और सूचना की भौतिकता के निर्धारण संबंधी मानदंड परिभाषित करने के लिए **भौतिकता और प्रकटीकरण के निर्धारण संबंधी नीति** अपनाई है।

II. उद्देश्य

यह नीति सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 [सूचीबद्धता विनियम] के विनियम 30 की आवश्यकताओं के अनुसार बनाई गई है ताकि निवेशक कंपनी द्वारा सतत आधार पर सूचना के प्रकटीकरण के अनुसार भली-भांति, समय पर, पर्याप्त और सटीक निवेश निर्णय ले सकें।

III. परिभाषाएँ

"अधिग्रहण" जैसा कि सूचीबद्धता विनियमों की अनुसूची III के भाग (क) के भाग (क) के उप-पैरा (1) के स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है अर्थात्

i. नियंत्रण प्राप्त करना, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से; या
ii. किसी कंपनी में, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शेयर या मताधिकार प्राप्त करने के लिए अधिग्रहण प्राप्त करना या सहमत होना, जैसे कि -
   क) कंपनी के पास कुल पांच प्रतिशत या उससे अधिक शेयर या मताधिकार हैं या उक्त कंपनी में मताधिकार है;

ख) इस उप-पैरा को स्पष्टीकरण के खंड (ii) के उप-खंड (क) के तहत किए गए पिछले प्रकटीकरण से धारिता में परिवर्तन किया गया है और इस तरह का परिवर्तन उक्त कंपनी में कुल शेयरधारिता या मताधिकार के दो प्रतिशत से अधिक है।

"बोर्ड" का अर्थ है, बोर्ड जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(10) में परिभाषित किया गया है।

"अध्यक्ष" का अर्थ कंपनी के निदेशक मंडल का अध्यक्ष है, जिसे नियुक्त किया गया है।

"अनुपालन अधिकारी" का अर्थ है गेल का कंपनी सचिव, जिसे नियुक्त किया गया है।

"निदेशक (वित्त)" का अर्थ है गेल का मुख्य वित्तीय अधिकारी, जिसे नियुक्त किया गया है।

"प्रकटीकरण की भौतिकता का निर्धारण" - सूचना/ घटना से संबंधित विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर मामला दर मामला आधार पर निर्धारित किया जाएगा। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या किसी विशेष घटना/ सूचना की प्रकृति भौतिक है, निम्नलिखित 'मात्रात्मक' या 'गुणात्मक' मानदंड लागू किए जाएंगे:

क) मात्रात्मक भौतिकता की समय-सीमा: जहां किसी घटना में शामिल मूल्य या किसी घटना का प्रभाव पूरे कारोबार या राजस्व या कुल आय के 5% से अधिक है; या निवल मूल्यय के 20% से अधिक है, जो भी कम है।

टिप्पण: उपर्युक्त समय-सीमा का निर्धारण पिछले लेखा-परीक्षित वित्तीय वर्ष के लेखा-परीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर किया जाएगा।

ख) सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 30(4) में परिभाषित अनुसार **गुणात्मक भौतिकता मानदंड**:

i. किसी घटना या सूचना का लोप, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक रूप से पहले से उपलब्ध किसी घटना या सूचना के समाप्त या परिवर्तन होने की संभावना है; या

ii. यदि उक्त लोप बाद की किसी तारीख में पता चलता है तो किसी घटना या सूचना के लोप के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण बाजार प्रतिक्रिया होने की संभावना है;

iii. यदि उप-खंडों (i) और (ii) में निर्दिष्ट मानदंड लागू नहीं होते हैं, तो किसी घटना/ सूचना को सामग्री माना जा सकता है यदि अध्यक्ष की राय में घटना/ सूचना को सामग्री माना जाता है।

टिप्पण: गुणात्मक भौतिकता मानदंड वहां लागू होगा जहां मात्रात्मक भौतिकता समय-सीमा लागू नहीं किया जा सकती है।

बशर्ते कि कोई भी गोपनीय सूचना जिसका प्रकटीकरण होने पर कंपनी का व्यावसायिक हित जोखिम में पड़ने की संभावना हो, का खुलासा नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि स्टॉक एक्सचेंज(जों) द्वारा ऐसी कोई सूचना मांगी जाती है, तो इसे प्रदान किया जाएगा।

"प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक" का अर्थ है प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 अर्थात् धारा 2(51) में परिभाषित किया गया है।

(i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक;
(ii) कंपनी सचिव;
(iii) पूर्णकालिक निदेशक;
(iv) मुख्य वित्तीय अधिकारी;
(v) कोई अन्य अधिकारी, जो पूर्णकालिक रोजगार-प्राप्त निदेशक के पद से एक स्तर नीचे से अधिक का न हो, जिन्हें बोर्ड द्वारा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में नामित किया गया है; और
(vi) ऐसा अन्य अधिकारी जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

"मूल्य संवेदनशील जानकारी" का अर्थ ऐसी कोई भी सूचना, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी कंपनी से संबंधित है और जिसके प्रकाशित होने पर कंपनी की प्रतिभूतियों की कीमत के भौतिक रूप से प्रभावित होने की संभावना हो।

"स्टॉक एक्सचेंज" का अर्थ बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड से है जिस पर कंपनी की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं।

**IV.	प्रकटीकरण**

IV. क <u>सामग्री घटनाएं</u> - *सूचीबद्धता विनियमों [30(4)] की अनुसूची III के भाग क का पैरा क।*

सभी घटनाओं या सूचना को यथाशीघ्र सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज(जों) को सूचित किया जाएगा और यह नीचे सूचीबद्ध अनुसार घटना या सूचना के घटने से **24 (चौबीस) घंटे** के अंदर दी जाएगी। *यदि घटना या सूचना के घटित होने के चौबीस घंटे बाद खुलासा किया जाता है, तो इसके खुलासे में देरी के लिए स्पष्टीकरण प्रदान किया जाएगा।*

1. अधिग्रहण (अधिग्रहण समझौते सहित), व्यवस्था योजना (समामेलन/ डीमर्जर/ पुनर्गठन), या किसी भी यूनिट(टों), प्रभाग(गों) या कंपनी की सहायक कंपनी का विक्रय या निपटान या अन्य कोई पुनर्गठन:

1.1. **अधिग्रहण (अधिग्रहण समझौते सहित):**

क. लक्षित इकाई का नाम, संक्षिप्त विवरण जैसे आकार, कारोबार आदि;

ख. क्या अधिग्रहण संबंधित पार्टी लेनदेन(नों) के अंतर्गत होगा और क्या अधिग्रहीत की जा रही इकाई में प्रमोटर/ प्रमोटर समूह/ समूह कंपनियों की कोई रुचि है? यदि हां, तो रुचि की प्रकृति और उसका विवरण तथा क्या ऐसा "स्वतंत्र रूप से" किया गया है;

ग. उद्योग जिसके लिए इकाई अधिग्रहीत की जा रही है;

घ. अधिग्रहण की वस्तुएं और प्रभाव (लक्षित इकाई के अधिग्रहण के कारणों के खुलासे सहित, यदि इसका व्यवसाय कंपनी के व्यवसाय के मुख्य कार्यक्षेत्र से बाहर है);

ङ. अधिग्रहण के लिए आवश्यक किसी भी सरकारी या विनियामक अनुमोदन का संक्षिप्त विवरण;

च. अधिग्रहण को पूरा करने के लिए सांकेतिक समय अवधि;

छ. विचार-विमर्श की प्रकृति - चाहे नकद योजना या शेयर की अदला-बदली और उसका विवरण;

ज. अधिग्रहण की लागत या जिस कीमत पर शेयर प्राप्त किए जाते हैं;

झ. अधिग्रहीत शेयरधारिता/ नियंत्रण का प्रतिशत और/या अधिग्रहीत किए गए शेयरों की संख्या;

क. अधिग्रहीत उत्पादों/व्यापार कार्यक्षेत्र, निगमन की तारीख, पिछले 3 वर्षों के कारोबार का इतिहास, देश का नाम जिसमें अधिग्रहीत इकाई मौजूद है और किसी अन्य सांकेतिक सूचना (संक्षेप में) के संदर्भ में अधिग्रहीत इकाई के बारे में संक्षिप्त पृष्ठभूमि।

1.2. **समामेलन/ विलय:**

क. समामेलन/ विलय का हिस्सा बनाने वाली इकाई(इकाइयों) का नाम, संक्षिप्त विवरण जैसे, आकार, कारोबार आदि;

ख. क्या लेनदेन संबंधित पार्टी लेनदेन के अंतर्गत आएगा? यदि हां, तो क्या ऐसा "स्वतंत्र रूप से" किया गया है;

ग. इकाई(इकाइयों) के व्यापार का क्षेत्र;

घ. समामेलन/ विलय का औचित्य;

ङ. नकद योजना के मामले में - राशि या अन्यथा विनिमय अनुपात;

च. कंपनी का शेयरधारिता पैटर्न (यदि कोई हो) में परिवर्तन का संक्षिप्त विवरण।

1.3. **डीमर्जर:**

क. डीमर्जर किए जाने वाले डिवीजन(नों) का संक्षिप्त विवरण;

ख. डीमर्जर किए गए डिवीजन का कारोबार और पिछले वित्त वर्ष की वित्तीय स्थिति के आधार पर तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में;

ग. डीमर्जर का औचित्य;

घ. सभी इकाइयों के शेयरधारिता पैटर्न (यदि कोई हो) में परिवर्तन का संक्षिप्त विवरण;

ङ. नकद योजना के मामले में - राशि या अन्यथा शेयर विनिमय अनुपात;

च. क्या परिणामी इकाई के लिए सूचीबद्धता की मांग की जाएगी।

1.4. **कंपनी की यूनिट(टों) या डिवीजन(नों) या सहायक कंपनी का विक्रय या निपटान:**

क. पिछले वित्त वर्ष के दौरान कंपनी की ऐसी यूनिट या डिवीजन द्वारा योगदान किए गए कारोबार या राजस्व या आय और निवल मूल्य की राशि और प्रतिशत;
ख. जिस तारीख को बिक्री के लिए समझौता किया गया है;
ग. बिक्री/ निपटान के पूरा होने की संभावित तारीख;
घ. ऐसी बिक्री/निपटान से प्राप्त विचार;
ङ. खरीदारों का संक्षिप्त विवरण और क्या कोई भी खरीदार प्रमोटर/ प्रमोटर समूह/ समूह कंपनियों से संबंधित है। यदि हां, तो उसका विवरण;
छ. क्या लेनदेन संबंधित पार्टी लेनदेन के अंतर्गत आएगा? यदि हां, तो क्या ऐसा "स्वतंत्र रूप से" किया गया है;
च. इसके अतिरिक्त, मंदी की बिक्री के मामले में, समामेलन/ विलय के लिए प्रदान किए गए सांकेतिक प्रकटीकरण को कंपनी द्वारा ऐसी मंदी बिक्री के संबंध में प्रकट किया जाएगा।

"मंदी बिक्री" का अर्थ एक या एक से अधिक उपक्रमों का हस्तांतरण होगा, जो ऐसी बिक्री में व्यक्तिगत परिसंपत्तियों और देनदारियों को सौंपे जाने वाले मूल्यों के बिना एकमुश्त विचार की बिक्री के परिणामस्वरूप होगा।

1.5. **अन्य पुनर्गठन:**

क. पुनर्गठन का विवरण और कारण;
ख. पुनर्गठन का मात्रात्मक और/या गुणात्मक प्रभाव;
ग. ऐसे प्रस्तावित पुनर्गठन से प्रमोटर/ प्रमोटर समूह/ समूह कंपनियों को लाभ का विवरण;
घ. सभी संस्थाओं का शेयरधारिता पैटर्न (यदि कोई हो) में परिवर्तन का संक्षिप्त विवरण।

2. प्रतिभूतियों का जारी होना या जब्ती, शेयरों का विभाजन या समेकन, प्रतिभूतियों को बायबेक करना, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध या जब्ती सहित मौजूदा प्रतिभूतियों के संदर्भ या संरचना में परिवर्तन, जिसमें प्रतिभूतियों की जब्ती, प्रतिभूतियां पुन: जारी करना, कॉल परिवर्तन, प्रतिभूतियों की ऋणमुक्ति आदि शामिल है।

2.1. **प्रतिभूतियों का जारी करना:**

क. जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों का प्रकार (अर्थात् इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय आदि);

ख. जारी करने का प्रकार (आगे सार्वजनिक प्रस्ताव, अधिकार निर्गम, डिपॉजिटरी प्राप्तियां (एडीआर/जीडीआर), योग्य संस्थान प्लेसमेंट, अधिमान आवंटन आदि);

ग. जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों की कुल संख्या या कुल राशि जिसके लिए प्रतिभूतियां जारी की जाएंगी (अनुमानित);

घ. अधिमान इश्यू के मामले में कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को निम्नलिखित अतिरिक्त विवरणों का खुलासा करेगी:

i. निवेशकों के नाम;

ii. प्रतिभूतियों के बाद आवंटन - सदस्यता का परिणाम, निर्गम मूल्य/आवंटित मूल्य (परिवर्तनीयता के मामले में), निवेशकों की संख्या;

iii. परिवर्तनीयता के मामले में - प्रतिभूतियों के रूपांतरण पर सूचना या दस्तावेज की अवधि समाप्त होना;

ड. बोनस जारी करने के मामले में कंपनी स्टॉक एक्सचेंज(जों) को निम्नलिखित अतिरिक्त विवरणों का खुलासा करेगी:

i. क्या बोनस मुनाफे या शेयर प्रीमियम खाते से सृजित फ्री रिजर्व से बाहर है;

ii. बोनस अनुपात;

iii. शेयर पूंजी का विवरण - बोनस जारी करने के पूर्व और पश्चात्;

iv. बोनस को लागू करने के लिए आवश्यक फ्री रिजर्व और/या शेयर प्रीमियम;

v. पूंजीकरण के लिए उपलब्ध फ्री रिजर्व और/या शेयर प्रीमियम और जिस तारीख को ऐसा शेष उपलब्ध है;

vi. क्या उपर्युक्त आंकड़ों की लेखा-परीक्षा की जाती है;

vii. अनुमानित तारीख जिसके द्वारा ऐसे बोनस शेयरों को जमा किय जाएगा/भेजा जाएगा;

च. डिपॉजिटरी प्राप्तियां (एडीआर/जीडीआर) या एफसीसीबी जारी करने के मामले में कंपनी स्टॉक एक्सचेंज(जों) को निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण का खुलासा करेगी।

i. स्टॉक एक्सचेंज(जों) का नाम जहां एडीआर/ जीडीआर/ एफसीसीबी सूचीबद्ध हैं (खुलन - बंद होने की स्थिति)/

ii. एडीआर/जीडीआर या एफसीसीबी के रूपांतरण पर अंतर्निहित इक्विटी शेयरों की प्रस्तावित संख्या;
iii. आवंटन की प्रस्तावित तारीख, कार्यकाल, परिपक्वता की तारीख और एफसीसीबी के प्रस्तावित कूपन, यदि कोई हों;
iv. एडीआर/जीडीआर/एफसीसीबी का निर्गम मूल्य (रूपांतरण दर पर विचार करने के बाद अमेरिकी डॉलर और रुपए के संदर्भ में);
v. एफसीसीबी के संदर्भ में परिवर्तन, यदि कोई हो;
vi. एफसीसीबी पर कूपन के भुगतान में कंपनी द्वारा चूक, यदि कोई हो, का विवरण और चूक के संबंध में बाद की अद्यतन स्थिति, जिसमें किए गए सुधारात्मक उपायों का विवरण (यदि कोई हो) शामिल हो;

छ. ऋण प्रतिभूतियों या अन्य गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के निर्गम के मामले में कंपनी स्टॉक एक्सचेंज(जों) को निम्नलिखित अतिरिक्त विवरणों का खुलासा करेगी:

i. निर्गम का आकार;
ii. क्या सूचीबद्ध किए जाने का प्रस्ताव है? यदि हां, तो स्टॉक एक्सचेंज(जों) का नाम;
iii. दस्तावेज की अवधि - आवंटन की तारीख और परिपक्वता की तारीख;
iv. प्रस्तावित कूपन/ ब्याज, कूपन/ब्याज और मूलधन के भुगतान की अनुसूची;
v. परिसंपत्तियों की तुलना में लगाया गया प्रभार/सुरक्षा, यदि कोई हो;
vi. दस्तावेज से संबद्ध विशेष अधिकार/ब्याज/विशेषाधिकार और उसमें परिवर्तन;
vii. नियत तिथि से तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए ब्याज/मूलधन के भुगतान में देरी या ब्याज/मूलधन के भुगतान में चूक;
viii. नियत तारीखों को ब्याज, मूलधन के भुगतान/ गैर-भुगतान के बारे में कोई पत्र या टिप्पणियों का विवरण, या सुरक्षा और/या परिसंपत्तियों से संबंधित कोई अन्य मामले सहित उस पर टिप्पणियां, यदि कोई हों;
ix. ऋणमुक्ति का तरीका दर्शाते हुए वरीयता शेयरों की ऋणमुक्ति (चाहे मुनाफे से बाहर या ताजा मुद्दे से बाहर) और डिबेंचर का विवरण;
x. प्रतिभूतियों को जारी करने के प्रस्ताव को रद्द या समाप्त करना, जिसमें उसके कारण शामिल हों।

2.2. **शेयरों का विभाजन / समेकन:**

क. विभाजन/ समेकन अनुपात;

ख. विभाजन/ समेकन के पीछे औचित्य;

ग. शेयर पूंजी - अधिकृत, प्रदत्त और अभिदत्त - पूर्व और पश्चात्;

घ. पूरा होने का अपेक्षित समय;

ङ. शेयरों का वर्ग जो समेकित या उप-विभाजित हो;

च. प्रत्येक वर्ग के शेयरों की संख्या विभाजन/ समेकन पूर्व और पश्चात्;

छ. शेयरधारकों की संख्या जिन्हें समेकन में कोई शेयर नहीं मिला और उनकी पूर्व-समेकन शेयरधारिता।

2.3. **प्रतिभूतियों का बायबेक :**

क. बायबेक के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों की संख्या;

ख. मौजूदा भुगतान पूंजी के प्रतिशत के रूप में बायबेक हेतु प्रस्तावित प्रतिभूतियों की संख्या;

ग. बायबेक मूल्य;

घ. वास्तविक प्रतिभूतियों की संख्या और मौजूदा प्रदत्त पूंजी को बायबेक का प्रतिशत;

ङ. शेयरधारिता पैटर्न पूर्व और पश्चात्।

2.4. **प्रतिभूतियों के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध:**

क. कुर्की या निषेधाज्ञा जारी करने वाला प्राधिकार;

ख. कुर्की या निषेधाज्ञा का संक्षिप्त विवरण और कारण;

ग. पंजीकृत धारकों के नाम जिनके खिलाफ हस्तांतरणीयता पर प्रतिबंध लगाया गया है;

घ. इस प्रकार प्रभावित प्रतिभूतियों की कुल संख्या;

ङ. ऐसी प्रतिभूतियों की विशिष्ट संख्या, यदि लागू हो;

च. अवधि जब तक आदेश लागू रहेगा (यदि उल्लेख किया गया है)।

2.5. **कोई भी कार्रवाई, जिसके परिणामस्वरूप किसी भी मौजूदा प्रतिभूतियों की शर्तों या संरचना में परिवर्तन होगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन ये इन तक ही सीमित नहीं हैं:**

क. शेयरों की जब्ती;

ख. जब्त किए गए शेयरों या प्रतिभूतियों का पुनः निर्गम, या शेयरों का निर्गम या भविष्य में निर्गम के लिए रिजर्व में रखे गए शेयर या प्रतिभूतियां या नए शेयरों या प्रतिभूतियों का किसी भी रूप में या तरीके से सृजन या सदस्यता लेने के लिए कोई अन्य अधिकार, विशेषाधिकार या लाभ;

ग. प्रतिभूतियों के किसी भी वर्ग के निर्गम का प्रस्ताव;

घ. कॉल सहित पूंजी का परिवर्तन;

ङ. कंपनी द्वारा जारी की गई किसी भी प्रतिभूति की पूर्ण या आंशिक ऋणमुक्ति/ समाप्ति/ सेवानिवृत्ति के संबंध में शर्तों में परिवर्तन।

3. दर(रों) में संशोधन

कंपनी स्टॉक एक्सचेंज(जों), किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से कंपनी के किसी भी ऋण दस्तावेज या किसी सावधि जमा कार्यक्रम या कंपनी की किसी भी योजना या प्रस्ताव के लिए निर्धारित की गई दर, जिसमें भारत या विदेश में धन जुटाना शामिल है, में किसी भी नई दर या संशोधन का विवरण अधिसूचित करेगी। दरों को कम किए जाने संबंधी संशोधन के मामले में, कंपनी रेटिंग एजेंसी द्वारा दर को कम करने के लिए दिए गए ऐसे संशोधन के कारणों को भी सूचित करेगी।

4. निदेशक मंडल की बैठकों का परिणाम - निम्नलिखित पर विचार करने या निर्णय लेने संबंधी बैठक के समाप्त होने के 30 मिनट के भीतर एक्सचेंज(जों) को सूचित किया जाएगा:

i. संस्तुत या घोषित लाभांश और/या नकद बोनस या किसी भी लाभांश को पारित करने का निर्णय और जिस तारीख को लाभांश का भुगतान किया जाएगा/प्रेषित किया जाएगा;

ii. किसी लाभांश को रद्द करना तथा उसके कारण;

iii. प्रतिभूतियों के बायबेक पर निर्णय;

iv. प्रस्तावित निधि जुटाने के संबंध में लिया जाने वाला निर्णय;

v. पूंजीकरण के माध्यम से बोनस शेयरों के निर्गम द्वारा पूंजी वृद्धि जिसमें ऐसे बोनस शेयरों को जमा करने/ प्रेषित करने की तारीख भी शामिल होगी;

vi. जब्त किए गए शेयरों या प्रतिभूतियों का पुनः निर्गम, या शेयरों का निर्गम या भविष्य में निर्गम के लिए रिजर्व में रखे गए शेयर या प्रतिभूतियां या नए शेयरों या प्रतिभूतियों का किसी भी रूप में या तरीके से सृजन या सदस्यता लेने के लिए कोई अन्य अधिकार, विशेषाधिकार या लाभ;

vii. कॉल सहित पूंजी के किसी भी अन्य परिवर्तन का संक्षिप्त विवरण;

viii. वित्तीय परिणाम;

ix. स्टॉक एक्सचेंज(जों) से कंपनी द्वारा स्वैच्छिक सूचीबद्धता हटाने पर निर्णय।

बोर्ड की बैठक के परिणाम की सूचना में बैठक शुरू होने और समाप्त होने का समय भी शामिल होगा।

बशर्ते कि यदि बोर्ड की बैठक एक दिन से अधिक समय तक आयोजित की जा रही है, तो जिस दिन वित्तीय परिणामों पर विचार किया गया है, का खुलासा उस दिन की बैठक समाप्त होने के तीस मिनट के भीतर किया जाएगा।

5. करार (जैसे शेयरधारक समझौता), संयुक्त उद्यम समझौता(तों), परिवार निपटान समझौता(तों), (उस सीमा तक कि यह कंपनी के प्रबंधन और नियंत्रण को प्रभावित करता है), मीडिया कंपनी(यों) के साथ समझौता(तों) /संधि(यों) /अनुबंध(धों), जो बाध्यकारी हैं और सामान्य व्यवसाय, इसमें किए गए सुधार(रों) या संशोधन(नों) और समाप्ति के अनुरूप नहीं हैं:

क. जिन पक्षों के साथ समझौता किया जाता है, उनका/उनके नाम;

ख. समझौते में शामिल करने का उद्देश्य;

ग. उस इकाई, जिसके साथ समझौते किया जाना है, में शेयरधारिता, यदि कोई हो;

घ. समझौते की महत्वपूर्ण शर्तें (संक्षेप में) विशेष अधिकार जैसे निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार, शेयर जारी करने के मामले में सदस्यता साझा करने का पहला अधिकार, पूंजीगत संरचना में किसी भी परिवर्तन को प्रतिबंधित करने का अधिकार आदि;

ङ. क्या, उक्त पक्ष किसी भी तरीके से प्रमोटर/ प्रमोटर समूह/ समूह कंपनियों से संबंधित हैं। यदि हां, तो संबंध की प्रकृति;

च. क्या लेनदेन संबंधित पार्टी लेनदेन के अंतर्गत आएगा? यदि हां, तो क्या यह "स्वतंत्र रूप से" से किया गया है;

छ. पक्षकारों को शेयर जारी करने के मामले में, निर्गम मूल्य का विवरण, निर्गम शेयरों की श्रेणी;

ज. ऐसे समझौतों से संबंधित कोई अन्य खुलासे, जैसे, कंपनी के निदेशक मंडल में नामांकित व्यक्ति का विवरण, ऐसे समझौतों से उत्पन्न होने वाले हितों का संभावित टकराव आदि;

झ. समझौते की समाप्ति या संशोधन के मामले में, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज(जों) को अतिरिक्त विवरण का खुलासा करेगी:

i. समझौते के पक्षकारों का नाम;

ii. समझौते की प्रकृति;

iii. समझौते के निष्पादन की तारीख;

iv. संशोधन और उसके प्रभाव या समाप्ति और उसके प्रभाव के कारणों का विवरण।

6. प्रमोटर या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों द्वारा या कंपनी द्वारा धोखाधड़ी/चूक या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों या प्रमोटर की गिरफ्तारी:

6.1. **धोखाधड़ी के पता लगाने के समय या चूक/ गिरफ्तारी होना:**

क. धोखाधड़ी/ चूक/ गिरफ्तारी की प्रकृति;

ख. कंपनी पर अनुमानित प्रभाव;

ग. घटना का समय;

घ. इसमें शामिल व्यक्ति;

ङ. शामिल अनुमानित राशि (यदि कोई हो);

च. क्या ऐसी धोखाधड़ी/ चूक/ गिरफ्तारी की सूचना उपयुक्त प्राधिकारियों को दी गई है।

6.2. **तत्पश्चात् स्टॉक एक्सचेंज(जों) को धोखाधड़ी/ चूक/ गिरफ्तारी के बारे में आगे की सूचना दें जिसमें निम्नलिखित शामिल हो:**

क. धोखाधड़ी/ चूक में शामिल वास्तविक राशि (यदि कोई हो);

ख. कंपनी और उसकी वित्तीय स्थिति पर ऐसी धोखाधड़ी/ चूक का वास्तविक प्रभाव; और

ग. ऐसी धोखाधड़ी/ चूक के कारण कंपनी द्वारा किए गए सुधारात्मक उपाय।

7. निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी, कंपनी सचिव आदि), लेखा परीक्षक और अनुपालन अधिकारी में परिवर्तन:

क. परिवर्तन के लिए कारण अर्थात् नियुक्ति, इस्तीफा, हटाया जाना, मृत्यु या अन्यथा;
ख. नियुक्ति की तिथि/समाप्ति (लागू अनुसार) और नियुक्ति की अवधि;
ग. संक्षिप्त जीवन-वृत्त (नियुक्ति के मामले में);
घ. निदेशकों के बीच संबंधों का प्रकटीकरण (निदेशक की नियुक्ति के मामले में)।

(7क) लेखा परीक्षक के त्यागपत्र के मामले में, लेखा परीक्षक के त्यागपत्र के विस्तृत कारणों, जैसा कि उक्त लेखा परीक्षक द्वारा दिए गए हैं, को कंपनी द्वारा यथाशीघ्र स्टॉक एक्सचेंजों को बताया जाएगा लेकिन यह लेखा परीक्षक से ऐसे कारणों के प्राप्त होने के चौबीस घंटे के भीतर होना चाहिए।

(7ख) त्याग-पत्र के कारणों सहित स्वतंत्र निदेशक का त्याग-पत्र: किसी स्वतंत्र निदेशक के त्याग-पत्र के मामले में, त्याग-पत्र की तारीख से सात दिनों के भीतर, कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को निम्नलिखित खुलासे किए जाएंगे:

i. स्वतंत्र निदेशकों के त्याग-पत्र के विस्तृत कारणों सहित त्याग-पत्र जैसा कि उक्त निदेशक द्वारा दिया गया है,

ii. सूचीबद्ध इकाइयों के नाम जिनमें त्याग-पत्र देने वाले निदेशक शामिल हैं, जिनके साथ निदेशकता की श्रेणी और बोर्ड समितियों की सदस्यता, यदि कोई हो, दर्शाई जाए।

iii. स्वतंत्र निदेशक, विस्तृत कारणों के साथ यह भी पुष्टि करेगा कि दिए गए कारणों के अलावा कोई अन्य भौतिक कारण नहीं है।

iv. उपर्युक्त स्वतंत्र निदेशक द्वारा प्रदान की गई पुष्टि को कंपनी द्वारा उपर्युक्त उप-खंड i और iii में निर्दिष्ट विस्तृत कारणों के साथ स्टॉक एक्सचेंजों को भी बताया जाएगा।

8. शेयर हस्तांतरण एजेंट की नियुक्ति या हटाया जाना:

क. नियुक्ति या हटाए जाने के कारण;
ख. तारीख, जिससे उपर्युक्त प्रभावी होगा।

9. निम्नलिखित विवरणों सहित बैंकों/ वित्तीय संस्थानों से ऋण/ उधार के संबंध में संकल्प योजना/ पुनर्गठन:

(i) ऋण/ उधार का समाधान शुरू करने का निर्णय;
(ii) ऋणदाताओं द्वारा अंतर-लेनदार समझौते (आईसीए) पर हस्ताक्षर;
(iii) संकल्प योजना को अंतिम रूप देना;
(iv) संकल्प योजना का कार्यान्वयन;
(v) मुख्य विशेषताएं जिनमें ऋणदाताओं द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार संकल्प/ पुनर्गठन योजना की वाणिज्यिक गोपनीयता शामिल नहीं है।

10. **बैंक के साथ एक-बारगी निपटान (ओटीएस):**

क. ओटीएस को चुनने के कारण;
ख. ओटीएस का संक्षिप्त सारांश।

11. **किसी भी पार्टी / लेनदारों द्वारा दायर बीआईएफआर और समापन याचिका का संदर्भ:**

क. ऐसे संदर्भ/ याचिका के कारण;
ख. कंपनी पर ऐसे संदर्भ/ याचिका का प्रभाव।

12.**शेयरधारकों, डिबेंचर धारकों या लेनदारों या उनमें से किसी भी वर्ग को निम्नलिखित भेजे गए नोटिस, कॉल लेटर, संकल्प और परिपत्र या कंपनी द्वारा मीडिया में प्रकाशित विज्ञापन और निम्नलिखित जारी करना:**

क. सूचना/कॉल लेटर/संकल्प आदि की तिथि;
ख. संक्षिप्त विवरण अर्थात् एजेंडा (यदि कोई हो) को शुरू करने का प्रस्ताव, पारित किए जाने का संकल्प, प्रस्तावित अनुमोदन का तरीका आदि।

13. **कंपनी की वार्षिक और असाधारण आम बैठकों की कार्यवाही और निम्नलिखित का संक्षिप्त विवरण:**

क. बैठक की तारीख;

ख. विचार-विमर्श और उसके परिणामों का संक्षिप्त विवरण;

ग. कुछ मदों (ई-मतदान आदि) के लिए प्रस्तावित अनुमोदन का तरीका।

14. ज्ञापन में संशोधन और कंपनी की संक्षिप्त अंतर बहिर्नियमावली।

15. **क.** विश्लेषक या संस्थागत निवेशकों की बैठक की अनुसूची और कंपनी द्वारा विश्लेषकों या संस्थागत निवेशकों को दी गई प्रस्तुतियां।

ख. ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग और आय पश्चात्/तिमाही कॉल की प्रतिलिपि, जिस भी नाम से उल्लेख किया जाता है, भौतिक रूप से या डिजिटल साधनों के माध्यम से रखी जाती है, साथ ही मान्यता-प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) को निम्नलिखित माध्यम से प्रस्तुत की जाती है,:

(i) प्रस्तुति और ऑडियो/ वीडियो रिकॉर्डिंग तुरंत वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी और यह किसी भी मामले में, अगले कारोबारी दिन से पहले या ऐसे कॉल के समापन के चौबीस घंटे के भीतर, जो भी पहले हो, होगी;

(ii) ऐसे कॉल की प्रतिलिपि ऐसे कॉल के समापन पर पांच कार्य दिवसों के भीतर वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।

16. **दिवालिया संहिता के तहत किसी सूचीबद्ध कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के संबंध में निम्नलिखित घटनाएं:**

क) सीआईआरपी की शुरुआत के लिए कॉर्पोरेट आवेदक द्वारा आवेदन दाखिल करना, साथ ही चूक की राशि भी निर्दिष्ट करना;

ख) कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ सीआईआरपी की शुरुआत के लिए वित्तीय लेनदारों द्वारा आवेदन दाखिल करना, साथ ही चूक की राशि भी निर्दिष्ट करना;

ग) ट्रिब्यूनल द्वारा आवेदन दाखिल करना, डिफ़ॉल्ट या अस्वीकृति या निकासी की राशि सहित, जैसा लागू हो;

घ) दिवालिया संहिता की धारा 13 के तहत ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में की गई सार्वजनिक घोषणा;

ङ) आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 13(2)(ग) के तहत कॉर्पोरेट देनदार द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले आवश्यक लेनदारों की सूची;

च) संकल्प पेशेवर की नियुक्ति/ प्रतिस्थापन;

छ) लेनदारों की समिति की बैठकों की पूर्व या बाद की सूचना;

ज) आईबीबीआई (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला संकल्प प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 36क(5) के तहत निर्दिष्ट प्रपत्र में दिवाला संहिता की धारा 25(2)(ज) के तहत संकल्प योजनाओं के आमंत्रण का संक्षिप्त विवरण;

झ) संकल्प पेशेवर द्वारा प्राप्त संकल्प योजनाओं की संख्या;

ञ) अधिकरण में संकल्प योजना दायर करना;

ट) अधिकरण या अस्वीकृति, यदि लागू हो, द्वारा संकल्प योजना का अनुमोदन;

ठ) दिवाला कोड के तहत न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संकल्प योजना की विशिष्ट विशेषताएं और विवरण, जिसमें वाणिज्यिक गोपनीयता को छोड़कर निम्नलिखित विवरण शामिल है:

(i) कंपनी का पूर्व और पश्चात् निवल-मूल्य;

(ii) सीआईआरपी के बाद कंपनी की परिसंपत्तियों का विवरण;

(iii) कंपनियों की परिसंपत्तियों पर लगातार लगाई जाने वाली प्रतिभूतियों का विवरण;

(iv) कंपनी पर लगाई गई अन्य भौतिक देनदारियां;

(v) परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के 100% रूपांतरण को मानते हुए विस्तृत पूर्व और पश्चात् शेयरधारिता पैटर्न;

(vi) कंपनी में निवेशित धन का विवरण, लेनदारों को किया गया भुगतान;

(vii) लेनदेन, ऐसे वित्तपोषण के स्रोत आदि के कारण आने वाले निवेशकों पर अतिरिक्त देयता;

(viii) निवेशक पर प्रभाव - संशोधित पी/ई, आरओएनडब्ल्यू अनुपात आदि;

(ix) नए प्रमोटरों के नाम, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति, यदि कोई हो और व्यापार या रोजगार में उनका पिछला अनुभव। ऐसे मामले में जहां प्रमोटर कंपनियां हैं, ऐसी कंपनी का इतिहास और नियंत्रणाणीन वास्तविक व्यक्तियों के नाम;

(x) व्यापार रणनीति का संक्षिप्त विवरण।

ड) वाणिज्यिक गोपनीयता को छोड़कर किसी भी अन्य सामग्री की सूचना।

ढ) एमपीएस को प्राप्त करने के लिए आने वाले निवेशक/ अधिग्रहणकर्ता द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम;

ण) एमपीएस प्राप्त करने की स्थिति का तिमाही प्रकटीकरण;

त) यदि संकल्प योजना में अनुमोदित सूचीबद्धता हटाने की योजनां, यदि कोई हों, तो उसका विवरण।

17.**फोरेंसिक ऑडिट की शुरुआत: फोरेंसिक ऑडिट शुरू करने के मामले में, कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को निम्नलिखित खुलासे किए जाएंगे:**

क) फोरेंसिक ऑडिट की शुरुआत का तथ्य तथा लेखा-परीक्षा करने वाली इकाई का नाम और उसके कारण, यदि उपलब्ध हों;

ख) कंपनी द्वारा प्राप्त अंतिम फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट (विनियामक / प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा शुरू की गई फोरेंसिक ऑडिट के अलावा) तथा उस पर प्रबंधन की टिप्पणियां, यदि कोई हों।

IV.ख <u>प्रकटीकरण की भौतिकता का निर्धारण</u> - *सचिबद्धता विनियमों [30(4)] की अनुसूची III के भाग क का पैरा ख।*

संबंधित कार्यात्मक निदेशक को इसके तहत सूचीबद्ध किसी भी सूचना की भौतिकता का निर्धारण करना चाहिए, इसे सामग्री सूचना के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए, उचित समय तय करना चाहिए जिस पर स्टॉक एक्सचेंजों और विवरणों के साथ प्रकटीकरण दायर किया जाना है जो निम्नलिखित के संबंध में वर्तमान और संभावित निवेशकों के सर्वोत्तम हित में दायर किया जा सकता है:

1. **वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने या प्रमुख इकाई/ डिवीजन के वाणिज्यिक संचालन की तारीख में कोई प्रारंभण या स्थगन:**

   वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने या किसी यूनिट/ डिवीजन के वाणिज्यिक संचालन शुरू होने के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज(जों) को सूचित करें। वाणिज्यिक उत्पादन या संचालन शुरू होने की तारीख की पूर्व सूचना वाले मामलों में, कंपनी को शुरू होने की तारीख को स्थगित करने के मामले में विवरण देना होगा।

2. **व्यवसाय के सामान्य व्यवहार या प्रकृति में निम्नलिखित द्वारा किया गया परिवर्तन:**

2.1. **रणनीतिक, तकनीकी, विनिर्माण, या विपणन अनुबंध के लिए व्यवस्था, व्यापार के नए कार्यक्षेत्र अपनाना:**

क. कंपनियों के साथ करार / संयुक्त उद्यम (जेवी):

i. उस इकाई का नाम जिसके साथ समझौता/ संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए गए हैं;
ii. समझौते का क्षेत्र/
iii. घरेलू/अंतरराष्ट्रीय;
iv. शेयर विनिमय अनुपात/ संयुक्त उद्यम अनुपात;
v. समझौते/ संयुक्त उद्यम के व्यापार संचालन का कार्यक्षेत्र;
vi. समझौते/ संयुक्त उद्यम में भुगतान/ प्राप्त विचार का विवरण;

vii. समझौते/ संयुक्त उद्यम की महत्वपूर्ण निबंधन एवं शर्तें संक्षेप में;

viii. क्या अधिग्रहण संबंधित पार्टी लेनदेन के भीतर आएगा और क्या अधिग्रहीत की जा रही इकाई में प्रमोटर/ प्रमोटर समूह/ समूह कंपनियों का कोई रुचि है? यदि हां, तो रुचि की प्रकृति और उसका विवरण तथा क्या ऐसा "स्वतंत्र रूप से' किया गया है;

ix. इकाई (इकाइयों) का आकार;

x. औचित्य और संभावित लाभ।

ख. यदि ऐसी किसी भी व्यवस्था को किसी भी कारण से बंद कर दिया जाता है, तो ऐसे प्रस्ताव को बंद करने के कारणों सहित खुलासा किया जाएगा।

2.2. **प्रमुख यूनिट/ डिवीजन के संचालन को समाप्त करना - (संपूर्णता या खंडों में):**

क. इस तरह के बाध्यकारी समझौते की तारीख, यदि कोई हो, जिसे ऐसी यूनिट/ डिवीजन की बिक्री, यदि कोई हो, के लिए निर्धारित किया गया है;

ख. पिछले वित्त वर्ष के दौरान ऐसी यूनिट या डिवीजन द्वारा कंपनी के कारोबार में योगदान की गई या राजस्व या आय और निवल मूल्य की राशि और प्रतिशत;

ग. समाप्ति की तारीख या समाप्त होने का अनुमानित समय;

घ. समाप्ति के कारण।

3. **क्षमता वर्धन या उत्पाद की शुरुआत:**

3.1क्षमता वृद्धि

क. मौजूदा क्षमता;

ख. मौजूदा क्षमता उपयोग;

ग. प्रस्तावित क्षमता वर्धन;

घ. वह अवधि जिसके भीतर प्रस्तावित क्षमता को जोड़ा जाना है;

ङ. निवेश की आवश्यकता;

च. वित्तपोषण का तरीका;

छ. औचित्य।

3.2. उत्पाद की शुरुआत:

क. उत्पाद का नाम;

ख. शुरुआत की तारीख;

ग. उत्पाद की श्रेणी;

घ. क्या घरेलू/ अंतरराष्ट्रीय बाजार को पूर्ति करता है;

ङ. उन देशों का नाम जिनमें उत्पाद लॉन्च किया गया है (अंतरराष्ट्रीय के मामले में)।

4. **अवार्ड देना, बैगिंग/ प्राप्ति, आदेशों/अनुबंधों को प्रदान करना/प्राप्त करना में संशोधन या समाप्त करना, जो व्यवसाय के सामान्य कार्यकलापों में नहीं होते।**

5. **करार (जैसे ऋण समझौता(ते) (उधारकर्ता के रूप में) या कोई अन्य समझौता(ते) जो बाध्यकारी हैं और व्यवसाय के सामान्य कार्यकलाप नहीं हैं, सुधार(रों) या संशोधन(नों) और उनकी समाप्ति।** केवल निम्नलिखित महत्वपूर्ण निबंधन एवं शर्तें का ही खुलासा किया जाना चाहिए:

क. जिन पक्षों के साथ समझौता किया जाता है, उनका/उनके नाम;

ख. समझौता करने का उद्देश्य;

ग. समझौते का आकार;

घ. इकाई जिसके साथ समझौता किया जाना है, में शेयरधारिता, यदि कोई हो;

ङ. समझौते की महत्वपूर्ण शर्तें (संक्षेप में) विशेष अधिकार जैसे निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार, शेयर जारी करने के मामले में सदस्यता साझा करने का पहला अधिकार, पूंजीगत संरचना में किसी भी परिवर्तन को प्रतिबंधित करने का अधिकार आदि;

च. क्या, उक्त पार्टी किसी भी तरह से प्रमोटर/ प्रमोटर समूह/ समूह कंपनियों से संबंधित हैं। यदि हां, तो संबंध की प्रकृति;

छ. क्या लेनदेन संबंधित पार्टी लेनदेन के अंतर्गत आएगा? यदि हां, तो क्या ऐसा "स्वतंत्र रूप से" किया जाता है;

ज. पार्टियों को शेयर जारी करने के मामले में, निर्गम मूल्य का विवरण, निर्गम शेयरों की श्रेणी;

झ. ऋण समझौतों के मामले में, ऋणदाता का विवरण, ऋण की प्रकृति, दी गई ऋण की कुल राशि, कुल बकाया राशि, ऋण समझौते के निष्पादन की तारीख/स्वीकृति-पत्र, ऐसे ऋण के लिए उधारदाताओं को प्रदान की गई सुरक्षा का विवरण;

ञ. ऐसे समझौतों से संबंधित कोई अन्य खुलासे, जैसे, कंपनी के निदेशक मंडल में नामांकित व्यक्ति का विवरण, ऐसे समझौतों से उत्पन्न होने वाले हितों के संभावित टकराव आदि;

ट. समझौते की समाप्ति या संशोधन के मामले में, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज(जों) को अतिरिक्त विवरण का खुलासा करेगी:

i. समझौते के पक्षकारों का नाम;

ii. समझौते की प्रकृति;

iii. समझौते के निष्पादन की तारीख;

iv. संशोधन और उसके प्रभाव या समाप्ति और उसके प्रभाव के कारणों का विवरण।

6. **प्राकृतिक आपदा (भूकंप, बाढ़, आग आदि) के कारण प्रमुख यूनिटों या डिवीजन के संचालन में बाधा, अप्रत्याशित स्थितियां या घटनाएं जैसे हड़ताल, तालाबंदी आदि:**

6.1. **घटना के समय:**

क. नुकसान/क्षति की संभावित मात्रा;

ख. क्या नुकसान/क्षति राशि सहित बीमा द्वारा कवर है अथवा नहीं;

ग. हड़ताल/ तालाबंदी के मामले में उत्पादन / प्रचालनों पर अनुमानित प्रभाव;

घ. फैक्टरी/यूनिट जहां हड़ताल/ तालाबंदी होती है वहां ऐसी हड़ताल के कारण भी बताएं।

6.2. **नियमित रूप से, जब तक पूरी तरह से सामान्य स्थिति बहाल न हो जाए:**

क. हानि / नुकसान के लिए कंपनी द्वारा दावा की गई और प्राप्त बीमा राशि;

ख. प्राकृतिक आपदा या अन्य अप्रत्याशित घटनाओं के कारण हुई क्षति की वास्तविक मात्रा;

ग. सामान्य स्थिति को बहाल करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा और प्राकृतिक आपदा/ अन्य अप्रत्याशित घटनाओं का उत्पादन या सेवा, इकाई की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का ब्यौरा।

7. **विनियामक ढांचे में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाला/वाले प्रभाव**

8. **प्रभाव सहित मुकदमेबाजी/ विवाद/ विनियामक कार्रवाई:** स्टॉक एक्सचेंज(जों) को उनके प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के किसी भी मुकदमेबाजी, मूल्यांकन, न्यायनिर्णयन, मध्यस्थता या सुलह कार्यवाही में विवाद का पक्षकार बनने या किसी भी मुकदमेबाजी, मूल्यांकन, न्यायनिर्णयन, मध्यस्थता या विवाद का पक्षकार बनने के बारे में सूचित करें या जिसमें कंपनी के खिलाफ या पक्ष में कोई अस्थायी या अंतरिम आदेश पारित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप यथोचित प्रभाव पड़ने की संभावना हो सकती है।

8.1. **पक्षकार बनने पर:**

क. मुकदमों का संक्षिप्त विवरण अर्थात् विरोधी पक्ष का नाम, न्यायालय/ अधिकरण/ एजेंसी जहां मुकदमा दायर किया गया है, विवाद/ मुकदमेबाजी का संक्षिप्त विवरण;
ख. मुआवजा, दंड आदि के कारण अपेक्षित वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो;
ग. दावों की मात्रा, यदि कोई हो;

8.2. **नियमित रूप से, जब तक मुकदमेबाजी समाप्त या विवाद का समाधान नहीं हो जाता है:**

क. ऐसी कार्यवाही के संबंध में स्थिति और/ या घटनाक्रम में किसी भी बदलाव का विवरण;
ख. प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों या उसके प्रमोटर या नियंत्रण वाले वास्तविक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमे के मामले में, ऐसी कार्यवाहियों के संबंध में स्थिति और/ या किसी भी घटना में परिवर्तन का विवरण नियमित रूप से प्रदान करें;
ग. कार्यवाही के निपटान की स्थिति में, ऐसे निपटान की शर्तों, मुआवजा/दंड का भुगतान (यदि कोई हो) और कंपनी की वित्तीय स्थिति पर ऐसे निपटान के प्रभाव सहित ऐसे निपटान का विवरण।

9. **प्रमुख लाइसेंस या विनियामक अनुमोदन प्रदान करना, वापस लेना, लौटाना, रद्द या निलंबन करना:**

क. विनियामक या लाइसेंसिंग प्राधिकारी का नाम;
ख. प्राप्त/वापस लिए गए/लौटाए गए अनुमोदन/लाइसेंस का संक्षिप्त विवरण;

ग. कंपनी पर ऐसे अनुमोदन/लाइसेंस का प्रभाव/प्रासंगिकता;

घ. विनियामक या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस/ अनुमोदन जारी/ रद्द या निलंबित करना, ऐसी कार्रवाई के कारणों सहित कंपनी पर अनुमानित प्रभाव (मौद्रिक या अन्यथा) और जुर्माना, यदि कोई हो;

ङ. वह अवधि जिसके लिए ऐसे अनुमोदन/ लाइसेंस वैध है/थे;

च. तत्पश्चात्, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज(जों) को वास्तविक प्रभाव (मौद्रिक या अन्यथा) के साथ-साथ प्रमुख लाइसेंस / अनुमोदन जारी, रद्द या निलंबन करने सहित कंपनी द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाइयों सूचित करेगी।

10. **सहायक कंपनियों के संबंध में सभी घटनाएं या सूचना, जो कंपनी के लिए भौतिक हैं।**

11. **किसी घटना घटना या कोई सूचना उपलब्ध होना जिसका कंपनी पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता है।**

12. **किसी भी ईएसओपी / ईएसपीएस योजना सहित** प्रतिभूतियों को खरीदने के विकल्प

क) दिए गए विकल्पों का संक्षिप्त विवरण;

ख) क्या यह योजना सेबी (एसबीईबी) विनियम, 2014 (यदि लागू हो) के संदर्भ में है;

ग) इन विकल्पों द्वारा कवर किए गए शेयरों की कुल संख्या;

घ) मूल्य निर्धारण फार्मूला;

ङ) निहित विकल्प;

च) समय जिसके भीतर विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है;

छ) प्रयोग किए गए विकल्प;

ज) विकल्पों के प्रयोग द्वारा प्राप्त धनराशि;

झ) विकल्प के प्रयोग के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले शेयरों की कुल संख्या;

ञ) व्यपगत विकल्प;

ट) विकल्पों की शर्तों में भिन्नता;

ठ) महत्वपूर्ण शर्तों का संक्षिप्त विवरण;

ड) बाद में किए गए परिवर्तन या समाप्ति या ऐसे विकल्पों का प्रयोग;

ढ) विकल्पों के प्रयोग पर इक्विटी शेयरों के जारी होने के अनुसार प्रति शेयर कम की गई आय।

13. **गारंटी देना या क्षतिपूर्ति करना या किसी तीसरे पक्ष के लिए जमानत देना**

क) पार्टी का नाम जिसके लिए ऐसी गारंटी या क्षतिपूर्ति या जमानत दी गई थी;
ख) क्या प्रमोटर/ प्रमोटर समूह/ समूह कंपनियों को इस लेन-देन में कोई रुचि है? यदि हां, तो रुचि की प्रकृति और उसका विवरण दें और क्या ऐसा "स्वतंत्र रूप से" किया गया है;
ग) ऐसी गारंटी या क्षतिपूर्ति का संक्षिप्त विवरण या जमानती देना अर्थात् महत्वपूर्ण निबंधन एवं शर्तों सहित किए गए करार का संक्षिप्त विवरण (यदि कोई हो) गारंटी की राशि सहित;
घ) कंपनी पर ऐसी गारंटी या क्षतिपूर्ति या जमानत का प्रभाव.

14. **निदेशकों (प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के अलावा) या सूचीबद्ध इकाई के कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी / चूक आदि**

15. अन्य कोई जानकारी / घटना जैसे प्रमुख घटनाक्रम जिसमें व्यापार को प्रभावित करने की संभावना हो, जैसे नई प्रौद्योगिकियों का उद्भव, पेटेंट की समाप्ति, लेखांकन नीति में कोई परिवर्तन जिसका खातों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, आदि तथा उसका संक्षिप्त विवरण और अन्य कोई सूचना जो विशेष रूप से कंपनी को ज्ञात हो, जो कंपनी की प्रतिभूतियों के धारकों को अपनी स्थिति का मूल्यांकन करने और ऐसी प्रतिभूतियों में किसी झूठे बाजार की स्थापना से बचने के लिए जानना आवश्यक हो सकती है।

IV.ग कंपनी के निष्पादन/ संचालन पर प्रभाव डालने वाली सूचना का प्रकटीकरण और/या मूल्य संवेदनशील जानकारी: गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियां - *सूचिबद्धता विनियम [51(2)] की अनुसूची III के भाग ख का पैरा क*

कंपनी तुरंत ऐसी सभी सूचनाओं को स्टॉक एक्सचेंज(जों) को सूचित करेगी जिनका कंपनी के कार्य-निष्पादन/ संचालन पर प्रभाव पड़ सकता है या मूल्य संवेदी हैं या ब्याज के भुगतान या गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों की ऋणमुक्ति को प्रभावित करेंगी:

1. गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के संबंध में ब्याज, लाभांश या ऋणमुक्ति भुगतान या दोनों के समय पर भुगतान में अपेक्षित चूक और इसके स्पष्ट होते ही डिबेंचर के लिए सुरक्षा के सृजन में चूक;
2. कोई भी कुर्की या निषेधात्मक आदेश कंपनी को इस प्रकार प्रभावित प्रतिभूतियों की संख्या, पंजीकृत धारकों के नाम और उनके डीमैट खाते के विवरण सहित पंजीकृत धारकों के खाते से गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों को स्थानांतरित करने से रोकता है;
3. कोई भी कार्रवाई जिसके परिणामस्वरूप किसी भी गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों की पूर्ण या आंशिक रूप से ऋणमुक्ति, कमी, समाप्ति, सेवानिवृत्ति हो;
4. कोई भी कार्रवाई जो गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज के भुगतान पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी या जिसमें गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों या ऋणमुक्ति राशि पर ब्याज का भुगतान करने में चूक और परिसंपत्तियों पर शुल्क लगाने में विफलता शामिल है;
5. स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी भी गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के रूप या प्रकृति या उसके धारकों के अधिकारों या विशेषाधिकारों में कोई भी परिवर्तन तथा परिवर्तन अनुसार प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन करना, यदि स्टॉक एक्सचेंज(जों) को इसकी आवश्यकता है;
6. व्यवसाय/ गतिविधियों के सामान्य स्वरूप या प्रकृति में कोई परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा के कारण संचालन में व्यवधान, और वाणिज्यिक उत्पादन/ वाणिज्यिक संचालन की शुरुआत;
7. हड़ताल और तालाबंदी जैसी कोई भी घटना, जिसका ब्याज के भुगतान/ लाभांश भुगतान/ मूलधन चुकौती क्षमता पर प्रभाव पड़ता है;
8. डिबेंचर ट्रस्टियों द्वारा देय तिथियों पर भुगतान/ ब्याज का भुगतान न करने, देय तिथियों पर मूलधन का भुगतान/ गैर-भुगतान या सुरक्षा, कंपनी और/या संपत्ति से संबंधित किसी अन्य मामले के संबंध में अपनी टिप्पणियों, यदि कोई हों, सहित किसी भी पत्र या टिप्पणियों का विवरण;
9. देय तिथि से तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए ब्याज या ऋणमुक्ति के भुगतान में देरी/ चूक;
10. निर्धारित समय अवधि के भीतर परिसंपत्तियों पर शुल्क लगाने में विफलता;
11. ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में ब्याज या मूल दायित्वों या दोनों के समय पर पुनर्भुगतान में चूक/ विलंब का कोई भी उदाहरण, जिसमें किसी निवेशक/ ऋणदाता के संबंध में कंपनी के बकाया/ ऋणों के पुनर्भुगतान कार्यक्रमों के पुनर्निर्धारण या स्थगन का कोई प्रस्ताव शामिल है।

12. अपने निदेशक मंडल की संरचना में कोई बड़ा परिवर्तन, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011 में परिभाषित अनुसार नियंत्रण में परिवर्तन का कारण बन सकता है।

13. निदेशक मंडल द्वारा अपनी बैठक में निम्नलिखित अनुमोदन लिए गए:-

(क) किसी भी ब्याज भुगतान को पारित करने का निर्णय;

(ख) पूंजी की किसी भी वृद्धि का संक्षिप्त विवरण चाहे पूंजीकरण के माध्यम से बोनस प्रतिभूतियों को जारी करके, या ऋण सुरक्षा धारकों को दी जाने वाली सही प्रतिभूतियों के माध्यम से, या किसी अन्य तरीके से;

14. गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों से संबंधित सभी सूचना, रिपोर्ट, नोटिस, कॉल लेटर, परिपत्र, कार्यवाही, आदि;

15. निम्नलिखित पर विचार करने के लिए आयोजित बैठक के समाप्त होने के तीस मिनट के भीतर, निदेशक मंडल की बैठकों के परिणामों को एक्सचेंज(जों) को खुलासा करें:

क. गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के माध्यम से जुटाई जाने वाली प्रस्तावित निधि के संबंध में निर्णय;

ख. वित्तीय परिणाम:

बशर्ते कि बोर्ड की बैठकें एक दिन से अधिक समय तक होने की स्थिति में, जिस दिन उस पर विचार किया गया हो, उस बैठक के समाप्त होने के तीस मिनट के भीतर वित्तीय परिणामों का खुलासा किया जाएगा।

16. इश्यू या ऋणमुक्ति या कॉल/ विकल्प के प्रयोग के संदर्भ में किसी भी परिवर्तन से संबंधित सूचना;

17. गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर और/या गैर-परिवर्तनीय प्रतिदेय वरीयता शेयरों की शर्तों के तहत अनुबंधों में किसी भी परिवर्तन या अनुबंधों के उल्लंघन से संबंधित सूचना;

18. दावा न किए गए ब्याज या लाभांश या मूलधन की जब्ती से संबंधित सूचना;

19. डिबेंचर ट्रस्टी या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी या रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट में किसी भी परिवर्तन से संबंधित सूचना;

20. किसी तीसरे पक्ष को प्रदान की गई सुविधा/गारंटी या किसी ऋण वृद्धि की सूचना;

21. अन्य कोई सूचना/ परिवर्तन जो:

क. गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के धारकों के अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित करे; तथा

ख. सार्वजनिक डोमेन में नहीं है, लेकिन गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के धारकों को सही स्थिति को समझने और ऐसी सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में झूठे बाजार के निर्माण से बचने के लिए सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है।

IV.घ घटना/ सूचना की घोषणा की प्रक्रिया इस प्रकार है:

i. **स्टॉक एक्सचेंजों के लिए घोषणा का मसौदा:**

- **खंड IV.क और IV.ख -** संबंधित कार्यात्मक निदेशक के परामर्श से संबंधित विभाग के प्रमुख मसौदा घोषणा तैयार करेंगे जो तथ्यात्मक रूप से सटीक होना चाहिए, स्पष्ट तरीके से व्यक्त होना चाहिए और उसमें ऊपर विस्तृत न्यूनतम सूचना शामिल होगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी घटनाएं या सूचना कंपनी सचिव को घटना या सूचना के घटित होने के 24 (चौबीस) घंटे के अंदर प्रदान की जाएं। यदि घटना या सूचना का खुलासा घटना के चौबीस घंटे के बाद किया जाता है तो ऐसे खुलासे के साथ देरी का स्पष्टीकरण प्रदान किया जाना चाहिए।
- **खंड IV.ग -** निदेशक (वित्त) के परामर्श से वित्त विभाग के प्रमुख मसौदा घोषणा तैयार करेंगे जो तथ्यात्मक रूप से सटीक होना चाहिए और स्पष्ट तरीके से व्यक्त किया जाना चाहिए तथा उसे कंपनी सचिव को प्रदान किया जाएगा।
- **IV.क. का खंड 4 -** संबंधित कार्यात्मक निदेशक के परामर्श से कंपनी सचिव।

ii. **लॉज घोषणाएं:** कंपनी की ओर से कंपनी सचिव उपर्युक्त i. में प्राप्त अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों के साथ घोषणा करेगा।

iii. **वेबसाइट पर होस्टिंग**: उपर्युक्त सभी खुलासे कंपनी की वेबसाइट पर न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि के लिए होस्ट किए जाएंगे।

कंपनी के सभी अधिकारी अनुपालन अधिकारी को सामग्री घटना और/या मूल्य संवेदनशील सूचना का खुलासा करने के लिए बाध्य होंगे और स्टॉक एक्सचेंज(जों) को सूचित करने से पहले सार्वजनिक खुलासा करने से बचा जाना चाहिए।

कंपनी सचिव अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भौतिकता और प्रकटीकरण के निर्धारण संबंधी नीति की समग्र निगरानी करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

संपर्क विवरण:

श्री महेश कुमार अग्रवाल
कंपनी सचिव
गेल (भारत) लिमिटेड
गेल भवन,
16, भिकाजी कामा प्लेस,
आर.के. पुरम,
नई दिल्ली -110066
ई-मेल - shareholders@gail.co.in
दूरभाष - **011 26170740**

V. संशोधन

सीएमडी नीति में शामिल विधि संबंधी ढांचागत नियमों और विनियमों में परिवर्तन होने पर नीति में संशोधन कर सकते हैं।